भारत सरकार

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय

कृषि एवं किसान कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 2880

18 मार्च, 2025 को उत्तरार्थ

विषय : आंध्र प्रदेश में एकीकृत बागवानी विकास मिशन

2880. डॉ. सी. एम. रमेशः

क्या कृषि और किसान कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) एकीकृत बागवानी विकास मिशन (एमआईडीएच) के लक्ष्य और उद्देश्य क्या हैं;

(ख) आंध्र प्रदेश राज्य में एमआईडीएच के कार्यान्वयन का ब्यौरा क्या है;

(ग) एमआईडीएच के अंतर्गत संकर फूलों पर दिए गए विशेष ध्यान का ब्यौरा क्या है, और

(घ) आंध्र प्रदेश राज्य में बागवानी वस्तुओं के विपणन सहित विकास और अवसंरचना सृजन के लिए एमआईडीएच के अंतर्गत प्रदान की गई वित्तीय, तकनीकी, वैज्ञानिक आदि सहायता का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री (श्री रामनाथ ठाकुर)

(क): समेकित बागवानी विकास मिशन (एमआईडीएच) वर्ष 2014-15 से कार्यान्वित एक केन्द्र प्रायोजित स्कीम है, जिसका उद्देश्य देश में फल, सब्जियां, कंद और मूल फसलें, मशरूम, मसाले, फूल, औषधीय और सुगंधित पौधे, नारियल, काजू, कोको, बांस, मखाना आदि सहित बागवानी का समग्र विकास करना है ।

इस मिशन का मुख्य उद्देश्य है, जिसमें प्रत्येक राज्य/क्षेत्र और इसकी विविध कृषि-जलवायु विशेषताओं के तुलनात्मक लाभ के अनुरूप अनुसंधान, प्रौद्योगिकी संवर्धन, विस्तार, फसलोपरांत प्रबंधन, प्रसंस्करण और विपणन सहित क्षेत्र आधारित क्षेत्रीय रूप से विभेदित कार्यनीतियों के माध्यम से नारियल सहित बागवानी क्षेत्र के समग्र विकास को बढ़ावा देना, इकॉनमी ऑफ स्केल तथा स्कोप लाने के लिए किसानों को एफआईजी/एफपीओ और एफपीसी जैसे किसान समूहों में एकत्रीकरण को प्रोत्साहित करना, आयात निर्भरता को कम करने के लिए उच्च मूल्य वाली फसलों सहित बागवानी फसलों का उत्पादन बढ़ाना, किसानों की आय में वृद्धि करना, पोषण सुरक्षा को सुदृढ़ करना, गुणवत्ता वाले जर्म-प्लाज्म, रोपण सामग्री और सूक्ष्म सिंचाई के माध्यम से जल उपयोग दक्षता बढ़ाकर उत्पादकता में सुधार करना, बागवानी तथा फसलोपरांत प्रबंधन, विशेष रूप से कोल्ड चेन क्षेत्र में ग्रामीण युवाओं के लिए कौशल विकास में सहायता करना और रोजगार सृजन के अवसर पैदा करना है।

(ख) और (ग): एमआईडीएच स्कीम, आंध्र प्रदेश के सभी जिलों में क्रियान्वित की जा रही है। एमआईडीएच के तहत देश में हाइब्रिड फूलों सहित फूलों की खेती को बढ़ावा देने के लिए वित्तीय सहायता भी प्रदान की जाती है। फूलों की खेती के लिए लागत मानदंड और सहायता के पैटर्न सहित विवरण नीचे दिया गया हैं:

क्र. सं.	**मद**	**लागत मानदंड**	**सहायता का पैटर्न**
I	**क्षेत्र विस्तार (प्रति लाभार्थी अधिकतम 2 हेक्टेयर)**		
i.	कटे हुए फूल	1.25 लाख रूपये /हेक्टेयर	2 किस्तों में 60:40 की आनुपातिक आधार पर सामान्य क्षेत्रों में 2 हेक्टेयर तक के क्षेत्र के लिए 40% की दर से सहायता । पूर्वोत्तर और हिमालयी राज्यों, अनुसूचित क्षेत्रों, जीवंत गांवों, अंडमान और निकोबार तथा लक्षद्वीप द्वीप समूह के मामले में, 2 हेक्टेयर तक के क्षेत्र के लिए आनुपातिक आधार पर 50% की दर से सहायता दी जाएगी।
ii.	बल्बनुमा और राइजोमैटिक फूल	2.50 लाख/हेक्टेयर	
iii.	ढीले फूल	0.50 लाख रूपये /हेक्टेयर	
II	**संरक्षित खेती**		
i.	पॉली हाउस/शेड नेट हाउस के तहत ऑर्किड और एन्थ्यूरियम की खेती और रोपण सामग्री की लागत।	700* रूपये / वर्गमीटर.	प्रति लाभार्थी अधिकतम 2500 वर्गमीटर क्षेत्र के लिए 50% की दर से सहायता या छोटे क्षेत्रों के लिए आनुपातिक आधार पर। नोट: पूर्वोत्तर और हिमालयी राज्यों, अनुसूचित क्षेत्रों, जीवंत गांवों, अंडमान और निकोबार तथा लक्षद्वीप द्वीपसमूह के मामले में लागत 15% अधिक होगी।
ii.	पॉली हाउस/शेड नेट हाउस के तहत कार्नेशन और गेरबेरा की खेती और रोपण सामग्री की लागत।	600* रूपये / वर्गमीटर.	
iii.	पॉली हाउस/शेड नेट हाउस के तहत गुलाब और लिलियम की खेती और रोपण सामग्री की लागत।	450* रूपये / वर्गमीटर.	

* पूर्वोत्तर एवं हिमालयी राज्यों, अनुसूचित क्षेत्रों, जीवंत गांवों, अंडमान एवं निकोबार तथा लक्षद्वीप द्वीपसमूह के मामले में उपरोक्त दरें 15% अधिक होंगी।

इसके अलावा, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने चिन्हित उच्च मूल्य वाली बागवानी फसलों के लिए बागवानी क्लस्टर विकास कार्यक्रम (एचसीडीपी) शुरू किया है। यह कार्यक्रम बागवानी क्लस्टरों की भौगोलिक विशेषज्ञता का लाभ उठाने और उत्पादन-पूर्व, उत्पादन, कटाई-पश्चात, लॉजिस्टिक्स, ब्रांडिंग और विपणन गतिविधियों के एकीकृत और बाजार आधारित विकास को बढ़ावा देने के लिए बनाया गया है। एचसीडीपी के तहत, पुष्प-कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र और तमिलनाडु राज्यों में पुष्प-कृषि के लिए 3 क्लस्टर भी चिन्हित किए गए हैं।

(घ): वर्ष 2014-15 से 2023-24 तक एमआईडीएच के तहत आंध्र प्रदेश की घटकवार फ़िज़िकल उपलब्धियों का विवरण (एमआईडीएच वेब पोर्टल पर राज्य द्वारा दी गई रिपोर्ट के अनुसार) निम्नानुसार है:

• **क्षेत्र विस्तार:** चिन्हित बागवानी फसलों के 1.21 लाख हेक्टेयर अतिरिक्त क्षेत्र को कवर किया गया है।

• **नर्सरी:** गुणवत्तापूर्ण रोपण सामग्री के उत्पादन के लिए 54 नर्सरी स्थापित की गई हैं।

• **कायाकल्प:** पुराने और जीर्ण बागों के कायाकल्प के तहत 34055.4 हेक्टेयर क्षेत्र को कवर किया गया है।

• **एकीकृत कीट प्रबंधन (आईपीएम):** आईपीएम के तहत 19512 हेक्टेयर क्षेत्र को कवर किया गया है

• **संरक्षित खेती:** संरक्षित खेती के तहत 45916.39 हेक्टेयर क्षेत्र को कवर किया गया है।

• **जल संसाधन:** 4057 जल संचयन संरचनाएं बनाई गई हैं।

• **फसलोपरांत प्रबंधन:** फसलोपरांत प्रबंधन घटक के अंतर्गत पैक हाउस, कोल्ड स्टोरेज इकाइयां, रेफ्रिजरेटेड वैन, प्राथमिक/मोबाइल प्रसंस्करण इकाइयां, राईपनिंग कक्ष, कोल्ड स्टोरेज से जुड़ी प्री कूलिंग इकाइयां और मोबाइल प्री कूलिंग इकाइयां सहित 7329 इकाइयां स्थापित की गई हैं।

• **मधुमक्खी पालन:** छत्तों सहित 20578 मधुमक्खी कालोनियों का वितरण किया गया है।

• **बागवानी मशीनीकरण:** 27583 बागवानी मशीनीकरण उपकरण वितरित किए गए हैं।

• **बाजार अवसंरचना**: 608 बाजार अवसंरचनाएं स्थापित की गई हैं।

• **किसानों का प्रशिक्षण:** विभिन्न बागवानी गतिविधियों के तहत 195471 किसानों को प्रशिक्षित किया गया।

बागवानी वस्तुओं के विपणन सहित इन्फ्रास्ट्रक्चर के विकास और सृजन सहित बागवानी क्षेत्र के समग्र विकास के लिए गतिविधियों के संचालन के लिए पिछले 5 वर्षों के दौरान एमआईडीएच स्कीम के तहत आंध्र प्रदेश को आवंटित और जारी की गई धनराशि का विवरण निम्नानुसार है:

करोड़ रूपये में

वर्ष	**आवंटन (भारत सरकार का हिस्सा)**	**जारी की गई राशि (भारत सरकार का हिस्सा)**
2019-20	114.00	79.38
2020-21	120.00	95.00
2021-22	108.00	50.00
2022-23	100.00	50.00
2023-24	63.90	24.00
कुल	**505.90**	**298.38**

*****